भवन निर्माण विभाग

भवन निर्माण विभाग के संलेख ज्ञापांक–10925 दिनांक–17.10.2014 में सन्निहित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–22.10.2014 में मद संख्या–24 के रूप में सम्मिलित किया गया। बैठक की कार्यवाही के अवतरण के साथ आपकी संचिका लौटायी जाती है।

24. श्री अखिलेश कुमार शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, दरभंगा अतिरिक्त प्रभार भवन प्रमंडल, नवादा सम्प्रति निलंबित को विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित आरोपों के लिए "सेवा से बर्खास्तगी" के दंड की स्वीकृति के संबंध में।

24. स्वीकृत।

(अजय कुमार द्विवेदी)
सरकार के विशेष सचिव
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

अ0सं0:- भवन/निग(द0वि0)-18/2007.....1145 (भ) पटना, दिनांक:- 11.11.14

अभिसूचना

श्री अखिलेश कुमार शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, दरभंगा अतिरिक्त प्रभार भवन प्रमंडल, नवादा सम्प्रति निलंबित के भवन प्रमंडल, दरभंगा पदस्थापन काल में निगरानी धावादल द्वारा दिनांक 17.03.2007 को उनके आवास में की गई छापेमारी में 18,500.00 रू. रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने के साथ पूर्व पदस्थापन कार्यालय पाटलिपुत्र भवन प्रमंडल, पटना से स्थानांतरण हो जाने तथा उक्त प्रमंडल का प्रभार प्रतिस्थानी को सौप देने के बावजूद पाटलिपुत्र भवन प्रमंडल, पटना के कार्यपालक अभियंता के रूप में कार्यशील रहने का धोखाधड़ी कर गलत नियत से रखी गई बहुमूल्य सरकारी अभिलेखों एवं संचिकाओं को जब्त किये जाने के फलस्वरूप निगरानी थाना कांड संख्या-37/2007 दिनांक 17.03.2007 दर्ज किया गया।

2. एतद संबंधी आरोप निगरानी विभाग के पत्रांक-एस0आर0-037/2007निग0-386/ अप0शा0 दिनांक-05.04.2007 द्वारा विभाग को प्रतिवेदित किया गया। जिसके आलोक में विभागीय अधिसूचना सं.-3152 दिनांक 04.04.2007 द्वारा अभियुक्त के जेल जाने की तिथि से बिहार, वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली -2005 के नियम 9 (2)(क) के अतिरिक्त 9 (1)(ग) के अंतर्गत दिनांक-17. 03.2007 से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया गया।

3. भवन निर्माण विभाग का पत्रांक-भवन/निग0-2(द0वि0)-18/07-3491(भ) दिनांक 18.04.2007 द्वारा आयुक्त एवं सचिव, पथ निर्माण विभाग, पटना से निगरानी थाना कांड सं.-37/07 दिनांक 17.03.2007 धारा 409/419/120(बी) भा0द0वि0 एवं धारा 7/13(2) सहपठित धारा 13(1)(डी), 8 एवं 9 भ्र0नि0अधि0 1988 के प्राथमिकी अभियुक्त श्री अखिलेश कुमार शर्मा, कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, दरभंगा एवं अतिरिक्त प्रभार भवन प्रमंडल, नवादा के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृत्यादेश निर्गत करने एवं कार्यपालक अभियंता के स्तर के पदाधिकारी को वृहत दंड देने की शक्ति पथ निर्माण विभाग में निहित रहने के कारण अपने स्तर से कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया। इसके फलस्वरूप पथ निर्माण विभाग द्वारा अपने ज्ञापांक निग0/ सारा-07 (भ0नि0वि0)-12/ 07-2345(एस)WE दिनांक 20.02.2008 द्वारा श्री शर्मा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के लिए विभागीय जाँच आयुक्त बिहार पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। पथ निर्माण विभाग द्वारा किये गए अनुरोध के आधार पर विधि विभाग के आदेश सहपठित ज्ञापांक सं0-2936 दिनांक-28.06.2007 द्वारा अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी।

4. अभियंताओं के संवर्ग विभाजन होने के फलस्वरूप श्री शर्मा का संवर्ग भवन निर्माण विभाग आवंटित होने की वजह से विभागीय कार्यवाही का प्रतिवेदन प्रधान सचिव-सह-अपर विभागीय जाँच आयुक्त, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, पटना द्वारा इस बिभाग को उनके पत्रांक 2562 दिनांक 25.04.2014 द्वारा प्राप्त हुआ। जिसमें श्री शर्मा के विरूद्ध लगाये गए दोनों आरोप प्रमाणित पाये गए। तदालोक में श्री शर्मा से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी। श्री शर्मा से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा को समीक्षा के दौरान इसे असंतोषजनक पाये जाने के फलस्वरूप इनके विरूद्ध सेवा से बर्खास्त करने का दंड देने का निर्णय लिया गया।

5. विभागीय पत्रांक 6889(भ) दिनांक 01.07.2014 द्वारा सेवा से बर्खास्तगी के अनुमोदित दंड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति/परामर्श हेतु भेजा गया। बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक 1179 दिनांक 20.08.2014 के द्वारा विभागीय दंड प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी। 1040

6. तदोपरांत श्री अखिलेश कुमार शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, दरभंगा अतिरिक्त प्रभार भवन प्रमंडल, नवादा सम्प्रति निलंबित को प्रमाणित गंभीर आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली 2007 के नियम 14(xi) में निहित प्रावधानों के अनुसार सेवा से बर्खास्त करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त की गयी। अतएव श्री अखिलेश कुमार शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, दरभंगा अतिरिक्त प्रभार भवन प्रमंडल, नवादा सम्प्रति निलंबित को विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित आरोपों के लिए निम्न दंड संसूचित किया जाता है।

(i) तत्कालिक प्रभाव से सेवा से बर्खास्त।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

5.11.14

(अशोक कुमार सुमन)
संयुक्त सचिव-सह-विशेष कार्य
पदाधिकारी-सह-मुख्य निगरानी पदाधिकारी।
पटना, दिनांक:- 11.11.14

ज्ञापांक:- 11452 (भ)

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचन्द पटेल पथ/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा/नवादा/पटना(विश्वेश्वरैया भवन) पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5.11.14

संयुक्त सचिव-सह-विशेष कार्य
पदाधिकारी-सह-मुख्य निगरानी पदाधिकारी।
पटना, दिनांक:- 11.11.14

ज्ञापांक:- 11452 (भ)

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/उप सचिव, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड कॉपी एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को विभागीय Website पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

5.11.14

संयुक्त सचिव-सह-विशेष कार्य
पदाधिकारी-सह-मुख्य निगरानी पदाधिकारी।
पटना, दिनांक:- 11.11.14

ज्ञापांक:- 11452 (भ)

प्रतिलिपि:-मुख्य सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सचिव, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग/विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग/संयुक्त सचिव-सह-विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-मुख्य निगरानी पदाधिकारी/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव, भवन निर्माण विभाग,

बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, राजपत्रित शाखा/लेखा शाखा/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। 1439

5.11.14

संयुक्त सचिव-सह-विशेष कार्य
पदाधिकारी-सह-मुख्य निगरानी पदाधिकारी।
पटना, दिनांक:- 11.11.14

ज्ञापांक:- 11452 (81)

प्रतिलिपि:-महानिदेशक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना/आरक्षी उप महानिरीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5.11.14

संयुक्त सचिव-सह-विशेष कार्य
पदाधिकारी-सह-मुख्य निगरानी पदाधिकारी।
पटना, दिनांक:- 11.11.14

ज्ञापांक:- 11452 (81)

प्रतिलिपि:-सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को उनके पत्रांक-1179 दिनांक-20.08.2014 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5.11.14

संयुक्त सचिव-सह-विशेष कार्य
पदाधिकारी-सह-मुख्य निगरानी पदाधिकारी।
पटना, दिनांक:- 11.11.14

ज्ञापांक:- 11452 (81)

प्रतिलिपि:-श्री अखिलेश कुमार शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, दरभंगा अतिरिक्त प्रभार भवन प्रमंडल, नवादा सम्प्रति निलंबित भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-1179 दिनांक-20.08.2014 की छाया-प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
अनु0:-यथोक्त।

5.11.14

संयुक्त सचिव-सह-विशेष कार्य
पदाधिकारी-सह-मुख्य निगरानी पदाधिकारी।
पटना, दिनांक:- 11.11.14

ज्ञापांक:- 11452 (81)

प्रतिलिपि:-सरकार के विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5.11.14

संयुक्त सचिव-सह-विशेष कार्य
पदाधिकारी-सह-मुख्य निगरानी पदाधिकारी।